SIMI पर प्रतिबंध बढ़ा

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

एक न्यायिक अधिकरण ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) पर लगाए गए प्रतिबंध को पाँच वर्ष के लिये बढ़ा दिया है।

- इसमें कहा गया है कि संगठन ने इस्लाम के लिये **'जेहाद'** के अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा है और यह **भारत में इस्लामी शासन** की स्थापना हेतु कार्य करना जारी रखेगा।
- उक्त अधिकरण का गठन विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत किया गया था।
  - UAPA का उद्देश्य भारत की **संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा** को खतरा पहुँचाने वाली **गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना** तथा उनका मुकाबला करना है।
- UAPA के प्रावधानों के तहत SIMI को **"गैरकानूनी संगठन"** घोषित करने की सिफारिश **10 राज्य सरकारों** ने की है।
- SIMI को **पहली बार वर्ष 2001 में गैरकानूनी घोषित किया गया था** और तब से प्रतिबंध को **समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।**
- SIMI की स्थापना **25 अप्रैल 1977 को** अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में **जमात-ए-इस्लामी-हिंद (JEIH)** से जुड़े एक युवा समूह के रूप में की गई थी, जो **वर्ष 1993** में स्वतंत्र हो गया।

और पढ़ें: गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम का आकलन

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ban-on-simi-extended